भारतसरकार Government of India

रेलमंत्रालय Ministry of Railways

रेलवेबोर्ड(Railway Board)

RBA No. 06/2025
GST circular no. 02/2025

No. 2017/AC-II/1/6/GST MAIN-VOL-IV/ e-3413181 New Delhi, Date: 26.03.2025

General Managers,
All Zonal Railways / Production Units

Sub: Action Points for GST compliances- 31st March 2025.

******

Certain compliances are to be undertaken at the year-end as envisaged in GST Act and corresponding rules made thereunder. The instant circular highlights actions required to be undertaken to ensure adherence to GST laws:

1. Credit attributable to exempted supplies- Finalization of ITC pertaining to inputs and input services reversed on monthly basis (Rule 42 of CGST Rules, 2017):

- ITC attributable to supply of exempted goods or services, which has been reversed on a monthly basis during FY 2024-25 may be finalised latest by 31st March 2025.

- If the amount reversed on monthly basis is in excess of the finally calculated amount, the excess reversed credit may be determined by 31st March 2025 to ensure availment in FORM GSTR-3B for the tax period of March 2025.

- However, if the amount reversed on a monthly basis is short of the amount finally calculated, the difference in such amount may be reversed in FORM GSTR-3B to be filed for the tax period of March 2025.

- It is pertinent to note that any reversal done post filing of FORM GSTR-3B for tax period of March 2025 in compliance with rule 42(2) of the CGST Rules, 2017, shall attract interest @18% p.a. to be computed with effect from 1st April 2025.

2. Serial Number of Documents issued

- In line with the provisions of GST Laws such as Rule 46, Rule 49, Rule 52 and Rule 53 of CGST Rules, 2017, every document (i.e., invoice, debit note, credit note, bill of supply, etc) issued by a registered person shall contain consecutive serial numbers

which shall inter alia be unique for that financial year.

Thus, beginning 1st April 2025, documents for outward supplies issued by Zonal Railways and Production Units shall commence with new and unique serial numbers.

3.Review of profile details on GST portal of GSTIN:

- Railways in consultation with GST consultants may review the profile details (such as Email Id, phone No., authorized signatory, additional place of business (addresses) etc.) on the GST portal and if be needed the same shall be updated.

Above actions are in addition to periodical compliances (such as filing of FORM GSTR-1, FORM GSTR-3B etc.) for the tax period of March 2025.

Signed by
Megha Agrawal
Date: 26-03-2025 11:54:25
(Megha Agrawal)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to:

1. PFAs All Zonal Railways/Production Units
2. All EDs, ED level empowered Committee in Railway Board
3. All Directors of GST Cell, Railway Board
4. MD, CRIS, Chanakyapuri New Delhi
5. Director/Finance, Director/PS, Director/Operations, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi
6. GM/Finance and GSTM, GM/FOIS, GM/PRS, GM/EPS, GM/UTS, GM/Parcel, CRIS, NDLS

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

आरबीए सं. 06/2025
जीएसटी परिपत्र सं. 02/2025

सं. 2017/एसी-II/1/6/जीएसटी मेन-वॉल-IV/ई-3413181 नई दिल्ली, दिनांक:26.03.2025

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: 31 मार्च 2025 से जीएसटी अनुपालन के लिए प्रक्रिया बिन्दु।

*****

जीएसटी अधिनियम और इसके तहत बनाए गए संबंधित नियमों के अनुसार वर्ष के अंत में कुछ अनुपालन किए जाने हैं। वर्तमान परिपत्र में जीएसटी कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई पर प्रकाश डाला गया है:

1. छूट प्राप्त आपूर्तियों के कारण क्रेडिट- मासिक आधार पर इनपुट और रिवर्स की गई इनपुट सेवाओं से संबंधित आईटीसी को अंतिम रूप देना (सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 42):

- छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित आईटीसी जिसे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मासिक आधार पर वापस किया गया है, को 31 मार्च, 2025 तक अंतिम रूप दिया जा सकता है।
- यदि मासिक आधार पर वापस की गई राशि अंतिम रूप से गणना की गई राशि से अधिक है, तो वापस किए गए अतिरिक्त क्रेडिट का निर्धारण 31 मार्च 2025 तक किया जा सकता है ताकि मार्च 2025 की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में लाभ को सुनिश्चित किया जा सके।
- हालांकि, यदि मासिक आधार पर वापस की गई राशि अंतिम रूप से गणना की गई राशि से कम है, तो ऐसी राशि का अंतर मार्च 2025 की कर अवधि के लिए भरे जाने वाले फार्म जीएसटीआर-3बी में वापस किया जा सकता है।

- यह ध्यान रखना उचित है कि सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42(2) के अनुपालन में मार्च 2025 की कर अवधि के लिए फार्म जीएसटीआर-3बी भरने के बाद किए गए किसी भी परिवर्तन पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा, जिसकी गणना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।

2. जारी किए गए दस्तावेजों की क्रम संख्या

- सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46, नियम 49, नियम 52 और नियम 53 जैसे जीएसटी कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किए गए प्रत्येक दस्तावेज (अर्थात् चालान, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आपूर्ति बिल आदि) में लगातार क्रम संख्याएं शामिल होंगी, जो अन्य बातों के साथ-साथ उस वित्तीय वर्ष के लिए विशिष्ट होंगी।

इस प्रकार, 1 अप्रैल, 2025 से क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों द्वारा जारी किए गए बाहरी आपूर्ति के दस्तावेज नए और विशिष्ट क्रम संख्याओं से प्रारंभ होंगे।

3. जीएसटीआईएन के जीएसटी पोर्टल पर प्रोफाइल विवरण की समीक्षा:

- रेलें जीएसटी सलाहकारों के परामर्श से जीएसटी पोर्टल पर प्रोफाइल विवरण (जैसे ई-मेल आईडी, फोन नंबर, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, व्यवसाय का अतिरिक्त स्थान (पते) आदि) की समीक्षा कर सकती हैं और यदि आवश्यक हो तो उसी को अद्यतन किया जाएगा।

उपरोक्त कार्यवाहियां मार्च, 2025 की कर अवधि के लिए आवधिक अनुपालनों (जैसे फॉर्म जीएसटीआर-1, फॉर्म जीएसटीआर -3बी आदि भरना) के अतिरिक्त हैं।

(मेघा अग्रवाल)
निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के प्रधान वित्त सलाहकार
2. सभी कार्यपालक निदेशक, रेलवे बोर्ड में कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति
3. जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड के सभी निदेशक।
4. महानिदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी नई दिल्ली।
5. निदेशक/वित्त, निदेशक/पीएस, निदेशक/परिचालन, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
6. महाप्रबंधक/वित्त एवं जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एफओआईएस, महाप्रबंधक/पीआरएस, महाप्रबंधक/ईपीएस, महाप्रबंधक/यूटीएस, महाप्रबंधक/पार्सल, क्रिस, नई दिल्ली।